कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 446/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.11.2026

थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़

बैंक से रुपये निकालने एवं जमा करने वाले लोगों को कागज की गड्डी थमाकर ठगी करने वाले अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस मुठभेड़ में सरगना घायल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

◆ बैंक से नकदी निकालने वाले लोगों की रेकी कर कागज की गड्डी थमाकर करते थे ठगी, टप्पेबाजी के ₹19,100 नकद, मोटरसाइकिल, 03 मोबाइल फोन एवं अवैध तमंचा-कारतूस बरामद।

◆ अभियुक्तों के विरुद्ध आजमगढ़, देवरिया, बुलन्दशहर, कुशीनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज में कुल 18 मुकदमे दर्ज।

◆ पुलिस मुठभेड़ में गिरोह का सरगना अमित साहनी गोली लगने से घायल, दो अन्य अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना एवं पुलिस कार्रवाई का विवरण–

1. दिनांक 10.08.2026 को धर्मराज चौहान रुपये जमा करने हेतु बड़ौदा यू0पी0 बैंक, अजमतगढ़ आए थे। बैंक में जमा पर्ची भरने में असमर्थ होने पर दो व्यक्तियों ने मदद करने के बहाने उन्हें अपने विश्वास में लिया तथा शंकर जी की मूर्ति के पास ले जाकर ₹74,000 लेकर कागज की गड्डी थमा दी। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 347/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत है।

2. दिनांक 29.10.2026 को आशीष कुमार की बुजुर्ग बुआ भारतीय बैंक, जीयनपुर से ₹49,000 निकालकर जा रही थीं। इसी दौरान तीन व्यक्तियों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनका बैग बदल दिया तथा उसमें रखे रुपये लेकर फरार हो गए। इस संबंध में थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0 451/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत है। उपरोक्त दोनों घटनाओं में कुल ₹1,23,000 की ठगी की गई थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 25.11.2026 को प्रातः लगभग 05:30 बजे थाना जीयनपुर पुलिस टीम द्वारा महावतगढ़ चकिया/अमुवारी नारायणपुर मार्ग के पास संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास करने पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई। इस दौरान एक अभियुक्त बबूल के पेड़ की आड़ लेकर पुलिस टीम पर फायर करने लगा, पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अमित साहनी के दाहिने पैर में गोली लग गई तथा दो अन्य अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।
घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान अमित साहनी, शिवा साहनी एवं सुनील साहनी के रूप में हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1. अमित साहनी पुत्र — निवासी मलाह टोली, वार्ड नं0 02, नगर पंचायत रुद्रपुर, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया। (घायल)
2. शिवा साहनी पुत्र — निवासी मलाह टोली, वार्ड नं0 02, नगर पंचायत रुद्रपुर, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया।
3. सुनील साहनी पुत्र — निवासी मलाह टोली, वार्ड नं0 02, नगर पंचायत रुद्रपुर, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया।

अपराध करने का तरीका–

पूछताछ में प्रकाश में आया कि अभियुक्तों का एक संगठित गिरोह है, जो बैंकों में रुपये जमा करने अथवा निकालने आने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता था। अभियुक्त बैंक के अंदर एवं बाहर ऐसे लोगों की रेकी करते थे, जिनके पास नकदी होती थी। इसके बाद उन्हें बातचीत में उलझाकर मदद करने अथवा अधिक रुपये देने का झांसा देते हुए विश्वास में लेते थे और असली रुपये लेकर उनके हाथ में कागज की गड्डी थमाकर मौके से फरार हो जाते थे।

अभियुक्त अमित साहनी का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 627/2008 धारा 323/325/504/506 भादवि, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 323/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सियाना, जनपद बुलन्दशहर।
3. मु0अ0सं0 25/2024 धारा 120बी/379/411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर।
4. मु0अ0सं0 963/2022 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट, थाना कैण्ट, जनपद गोरखपुर।
5. मु0अ0सं0 347/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0 451/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त शिवा साहनी का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 323/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सियाना, जनपद बुलन्दशहर।
2. मु0अ0सं0 95/2023 धारा 34/392/411/413/506 भादवि, थाना एम्स, जनपद गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 25/2024 धारा 120बी/379/411/419/420 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कप्तानगंज, जनपद कुशीनगर।
4. मु0अ0सं0 347/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0 451/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त सुनील साहनी का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 392/2020 धारा 379/411 भादवि, थाना कोतवाली, जनपद महराजगंज।
2. मु0अ0सं0 349/2021 धारा 379/411 भादवि, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।
3. मु0अ0सं0 352/2021 धारा 411/413/420/468 भादवि, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।
4. मु0अ0सं0 353/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।
5. मु0अ0सं0 496/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना निचलौल, जनपद महराजगंज।
6. मु0अ0सं0 347/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0 451/2026 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

उपरोक्त आपराधिक इतिहास के अनुसार अभियुक्तों के विरुद्ध अभियुक्तवार कुल 18 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे जनपद आजमगढ़, देवरिया, बुलन्दशहर, कुशीनगर, गोरखपुर एवं महराजगंज में पंजीकृत हैं।

बरामदगी का विवरण–

1. टप्पेबाजी से प्राप्त ₹19,100 नकद।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नं0 UP53FB 6567।
3. तीन अदद मोबाइल फोन।
4. एक अदद अवैध देशी तमंचा।
5. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।
6. दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0सं0 490/2026 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

थानाध्यक्ष संजय सिंह, उ0नि0 परमात्मा मिश्रा, उ0नि0 विनय कुमार यादव, हे0का0 अभय प्रताप सिंह, का0 प्रशान्त सिंह, का0 शैलेश कुमार यादव, का0 सौरभ कुमार पाण्डेय, का0 संजय कुमार वर्मा, का0 सोनू यादव, का0 मो0 शाहिद एवं का0 ओम त्रिपाठी, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।








BROOKLYN
NEW YORK